भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3506

गुरुवार, दिनांक 24 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>छोटे व्यवसायों द्वारा विद्युत आपूर्ति का उपयोग</u>

3506. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री राजबहादुर सिंह:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री सी.पी.जोशी:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री मनोज तिवारी:
श्री पी.पी.चौधरी:
श्री प्रताप चंद्र सारंगी:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री जगदम्बिका पाल:

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह आकलन करने के लिए अध्ययन किया है कि छोटे व्यवसाय डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) के माध्यम से इंडक्शन फर्नेस या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का उपयोग इस्पात बनाने के लिए करते हैं, जिसके लिए थर्मल कोयले की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार छोटे व्यवसायों द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत आपूर्ति के स्रोतों को इंगित करने वाला कोई डेटा रखती है

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कोयले के विकल्पों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का सौर और पवन जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने का विचार है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): कोयला आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरई) उत्पादकों को डीआरई के उत्पादन के लिए लोह अयस्क कम करने हेतु उच्च ग्रेड के गैर-कोकिंग कोयले की आवश्यकता होती है। देश में वर्ष 2020-21 में डीआरआई का कुल उत्पादन 34.38 मिलियन टन था। कोयला आधारित डीआरई उत्पादक, कुल डीआरई उत्पादन का लगभग 82 प्रतिशत उत्पादन करते हैं और इसमें अधिकांशतः छोटे तथा मध्यम उद्यम (एसएमई) शामिल हैं। डीआरआई का उत्पादन प्राकृतिक गैस का उपयोग करके भी किया जाता है

(कुल उत्पादन का लगभग 18 प्रतिशत)। कोयला आधारित डीआरआई का अधिक उत्पादन, लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्राकृतिक गैस उपलब्ध न होने की वजह से किया जाता है। इस प्रकार से उत्पादित डीआरई का उपयोग, एसएमई इस्पात उत्पादकों द्वारा इन्डक्शन फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का उपयोग करके इस्पात उत्पादन करने के लिए किया जाता है।

(ग) अक्षय ऊर्जा स्रोत पहले ही परम्परागत स्रोतों से उत्पन्न विद्युत में अतिरिक्त वृद्धि कर रहे हैं।

(घ) और (ङ): ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(च) से (ज): माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कॉप-26 में की गई घोषणा के अनुसार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिनांक 28.02.2022 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 152.90 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की परियोजनाएं (बड़ी पन बिजली सहित) स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 72.61 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता की परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सरकार ने देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं:

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा करना,
- लगाओ और चलाओ (प्लग एंड प्ले) आधार पर अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना करना,
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं,
- अक्षय विद्युत की निकासी हेतु हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करना,
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों/उपकरणों की तैनाती के लिए मानकों की अधिसूचना
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

*****